न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 138/2018
GCMS NO. : 2018/00224

–:: वादीगण :–

1. पांचीबाई पत्नी श्यामलाल
2. संतोषदेवी पत्नी विनोद कुमार

जातियान– कुमावत, निवासीगण– ग्राम बलून्दा, तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. बाबू उर्फ पाबू पुत्र भंवरू
2. मदन पुत्र भंवरू
3. काना पुत्र भंवरू
4. भगवानराम पुत्र भंवरू
5. पुखाराम पुत्र भंवरू
6. डूंगाराम पुत्र गोकलराम
7. बंशीलाल पुत्र देवाराम
8. मोहनलाल पुत्र हीराराम

सभी जातियान– माली, निवासीगण– देवनगर के पास ग्राम– आनन्दपुर कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

9. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः–31.05.2018

उपस्थितः– 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री तुलसाराम माली, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 06/09/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का आ0कालू प्रथम के खसरा नम्बर 1610 रकबा 119 बीघा किस्म चाही चारम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादीगण का 23/25 वां हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/25 [illegible] में 2/25 वां हिस्सा आया हुआ है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के सा[illegible] जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त [illegible] एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड में सामलाती आराजी है। जिसका कानूनन [illegible] मिटस् एण्ड वाऊण्डस् के बंटवाड़ा नही हो रखा है, मौके पर आपसी सहमति से [illegible] आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है एवं वादीगण अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाड़ा कर दिया था। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक भी शामलाति चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 15:55:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने, उसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड स् के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का करना पड़ रहा है। जिसमें वादीगण अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बैंक से लेने, अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने, उसके चारो तरफ तारबन्दी करने, बीज मिट्टी डालने में वादीगण को अनेको परेशानीयो का सामना करना पड़ता है। ए इन परेशानीयो से बचने के लिये कानूनन वाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के ा बाबत् यह वादपत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का अपने हक अनुसार मौके पर कब्जा-काश्त है, परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को मौके से ल कर वादीगण की बेसकीमती आराजी को हड़प करना चाहते है तथा अजनबी को बेचान करने पर आमादा है, आये दिन वादीगण के हक हिस्से की भूमि पर दीगण के कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है तथा पांचीबाई पक्ष्मवादीगण की जी में कब्जा करने पर उतारू है तथा प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी के चारों की गई मेडबदी को बिखेर देते है एवं वादीगण की आराजी में पशुओं को खुला कर फसलों को नष्ट कर रहे है एवं आये दिन माठों एवं हिस्सों को लेकर ंदाजी व हस्तक्षेप करते रहते है तथा प्रतिवादीगण वादीगण को एलानिया धमकी है कि उनको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेगें उक्त आराजी को आगे अजनबी क्रेता को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर देगें। यदि वादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को मौके बेदखल कर भूमि अजनबी क्रेता को बेचान कर देते है तो वादीगण को अपूर्णिय होगी एवं वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगा। लिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बंटवाड़ा व ई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनांक 15-05-2018 को वादीगण नें वादीगण को मौके से बेदखल कर उक्त भूमि को बिना बंटवाड़ा कराये अजनबी क्रेता को बेचान करने की एलानिया धमकी दी तब वादीगण ने तेवादीगण को कहा कि आपसी रजामन्दी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा कर जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाडा हो रखा है उसी अनुसार तहसील कार्यालय चलकर ही आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में टवाड़ा कर लेवे परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादीगण को कहा कि वो नबल के आधार पर उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार मा लेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो दीगण को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम ढ़ेगा एवं मौके पर लड़ाई झगड़े होगें, विवाद बढ़ेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ गेसिडिंग्स बढ़ेगी। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से ादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 9 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से बं के वाद में आवश्यक पक्षकार है। इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 15-05-2018 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार होने एवं वादीगण को मौके से बेदखल कर उक्त आराजी को बेचान करने की ऐलानिया धमकी देने से बमुकाम देवगनर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaska
Date: 2022.01.24 15:55:47
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0 में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है, जवाबदावा बन्द किया जाता है। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमति से जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड वादीगण एवं प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है, बंटवाड़ा करवाये जाने की इस्तदुआ की। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का आ0कालू प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1610 रकबा 119–00 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का आ0कालू प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1610 रकबा 119 बीघा किस्म चाही चारम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/505 दिनांक 30/06/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/3311 दिनांक 31/08/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 15:55:47 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का आ0कालू प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1610 रकबा 119 बीघा किस्म चाही चारम भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	पांचीबाई पत्नी श्यामलाल हि. 85030/173643, संतोषदेवी पत्नी विनोद कुमार हि. 88613/173643 कौम कुमावत सा. बलून्दा खातेदार	1610/2	17.3643	चाही चारम	201.67
2	डुंगाराम पुत्र गोकलराम हि. 1/3, बंशीलाल पुत्र देवाराम हि. 2569/8118, मोहनलाल पुत्र हीराराम हि. 428/1353, धर्माराम पुत्र देवाराम हि. 137/8118, नेमाराम पुत्र हीराराम हि. 23/1353 कौम माली सा. देह खातेदार	1610	0.8118	चाही चारम	9.43
3	मदनलाल, कानाराम, भगवान राम पि. भंवरलाल, पुखाराम फौत के कायम मुकाम सांवरराम पुत्र पुखाराम, विमला, सुमन, सुरमा पुत्रीयां पुखाराम, बुधी देवी पत्नी पुखाराम, बाबू उर्फ पाबूराम फौत के कायम मुकाम राजेश, कैलाशराम पि. बाबूराम उर्फ पाबूराम, पपूदेवी, लीलादेवी, रमादेवी पुत्रीयां बाबूराम उर्फ पाबूराम, परमादेवी पत्नी बाबूराम उर्फ पाबूराम कौम माली सा. देह खातेदार	1610/1	1.0869	चाही चारम	12.62

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय, आज दिनॉक 06/09/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 15:55:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादीगण :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. पांचीबाई पत्नी श्यामलाल
2. संतोषदेवी पत्नी विनोद कुमार
   जातियान- कुमावत,
   निवासीगण- ग्राम बलून्दा,
   तहसील जैतारण जिला पाली
   राज0।

प्रतिवादीगण:

1. बाबू उर्फ पाबू पुत्र भंवरू
2. मदन पुत्र भंवरू
3. काना पुत्र भंवरू
4. भगवानराम पुत्र भंवरू
5. पुखाराम पुत्र भंवरू
6. डूंगाराम पुत्र गोकलराम
7. बंशीलाल पुत्र देवाराम
8. मोहनलाल पुत्र हीराराम
   सभी जातियान- माली,
   निवासीगण- देवनगर के पास
   ग्राम- आनन्दपुर कालू, तहसील-
   जैतारण, जिला- पाली राज0।
9. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली
   राज0।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0 स0: 138/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री तुलसाराम माली, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा देवनगर पटवार हल्का आ0कालू प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1610 रकबा 119 बीघा किस्म चाही चारम भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	पांचीबाई पत्नी श्यामलाल हि. 85030/173643, संतोषदेवी पत्नी विनोद कुमार हि. 88613/173643 कौम कुमावत सा. बलून्दा खातेदार	1610/2	17.3643	चाही चारम	201.67
2	डूंगाराम पुत्र गोकलराम हि. 1/3, बंशीलाल पुत्र देवाराम हि. 2569/8118, मोहनलाल पुत्र हीराराम हि. 428/1353, धर्माराम पुत्र देवाराम हि. 137/8118, नेमाराम पुत्र हीराराम हि. 23/1353 कौम माली सा. देह खातेदार	1610 [illegible]	[illegible]	चाही चारम	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 15:55:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मदनलाल, कानाराम, भगवान राम पि. भंवरलाल, पुखाराम फौत के कायम मुकाम सांवरराम पुत्र पुखाराम, विमला, सुमन, सुरमा पुत्रीयां पुखाराम, बुधी देवी पत्नी पुखाराम, बाबू उर्फ पाबूराम फौत के कायम मुकाम राजेश, कैलाशराम पि. बाबूराम उर्फ पाबूराम, पपूदेवी, लीलादेवी, रमादेवी पुत्रीयां बाबूराम उर्फ पाबूराम, परमादेवी पत्नी बाबूराम उर्फ पाबूराम कौम माली सा. देह खातेदार	1610/1	1.0869	चाही चारम	12.62

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/09/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला (पाली))

मुद्दई	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	/
महनताना वकील	
खर्चा गवाहान	03-00
फीस कमीश्नर	/
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
	06-00
मिजानः-	

मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प अर्जी	
महनताना वकील	/
खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	
मुत्फरिक	
	02-00
मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 15:55:47 IST
Reason: SelfAttested